न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–57/2010

CIS NO.-177/2018

मृतक बरसाती पंडित का विधिक वारिसान...वादी
बनाम
सुरेन्द्र पंडित एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.09.2022	वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 07.02.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 सुरेन्द्र पंडित की मृत्यु दिनांक 01.05. 2021 को तथा प्रतिवादी सं0–02 ज्ञानती देवी की मृत्यु दिनांक 25.04.2021को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–01 सुरेन्द्र पंडित के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे आवेदन में वर्णित विधिक वारिसानों को छोड़कर मरे है तथा मृतक प्रतिवादी सं0–02 की एक मात्र पुत्री जो प्रतिवादी सं0–03 के रूप में पहले से ही प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–01 सुरेन्द्र पंडित का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें तथा प्रतिवादी सं0–02 का नाम कलमजद करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज करने योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 सुरेन्द्र पंडित एंव प्रतिवादी सं0–02 ज्ञानती देवी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादी का आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है फिर भी न्याय हित में वादी का आवेदन मो0–200/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 का नाम कलमजद करें तत्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 02.11.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	